

भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै.सं.-11500, मुंबई-20.

सं. 28/19/2000/एम.एस./

दिनांक: 14 मई, 2003

परिपत्र सं.-2

(2003-2004 श्रृंखला)

विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) ।

दिनांक 7 मई, 2003 को मुंबई में संपन्न तकनीकी सलाहकार सह-देखरेख समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(i) **प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट-बी में अतिरिक्त मशीनरी ।**

प्रौ.उ.नि.यो. के जी. आर. की परिशिष्ट-बी (जी) में निम्नलिखित मशीनों को शामिल किया गया :-

10. एअर कवरिंग मशीन
11. यूनिवर्सल डबल कवरिंग मशीन
12. गोलाकार बुनाई/टेक्सचराइसिंग मशीन पर स्पॅनडेक्स अटॅचमेंट

(ii) **रेडिमेड गारमेन्ट सेक्टर के लिए अतिरिक्त मशीनरी ।**

प्रौ.उ.नि.यो. के जी. आर की परिशिष्ट-ई (ए) में निम्नलिखित मशीनों को शामिल किया गया :-

- 64- लेसर कलर फेडिंग/मार्किंग/ड्राइंग मशीन
- 65-लेसर परिचालित कलर स्प्रेडिंग मशीन
- 66- आरएमजी क्युरिंग/हीट सेटींग ओवन

(iii) **सभी उद्योगों के लिए 15 एच.पी. तथा उससे अधिक के एअर कॉम्प्रेसर का समावेश:-**

"15 एच.पी तथा उससे अधिक के एअर कॉम्प्रेसर" का प्रौ. उ.नि.यो. के जी. आर. के निम्नलिखित परिशिष्टों में समावेश किया गया ।

1. परिशिष्ट बी (ए) 21
2. परिशिष्ट सी (बी) (!!!) 2
3. परिशिष्ट डी -1(बी) 17 एवं सी 7
4. परिशिष्ट ई (ए) 67
- 5 परिशिष्ट एफ-1(बी) (!v) 13

- 6 परिशिष्ट एफ-2(बी) (!v) 4
7 परिशिष्ट एफ-3(बी) (!v) 4
8 परिशिष्ट एफ-4(बी) (III) 4
9 परिशिष्ट जी (!) 22

(!v) पात्र थर्मो पॅक संबंधी स्पष्टीकरण ।

परिशिष्ट-एफ 1(बी) (!v)(2), परिशिष्ट-एफ 2 (बी) (!v)(2), परिशिष्ट-एफ 3 (बी) (!v)(2) एवं परिशिष्ट-जी (!) 21 के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टि "थर्मो पॅक (तेल/गैस फायर्ड)/अन्य उच्च तापमान हीटिंग पद्धति" के रूप में संशोधित किया गया है ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

**(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक**